

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण :-

बनाम

ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी तह. देसूरी

निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी

जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्रा.प.

तह. देसूरी जिला पाली राज.

कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली



2. मन्जु पत्नी ओगड़राम जाति नाई

निवासी कोटड़ी तह. देसूरी पाली

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 246 / 2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024 / 277 )

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (गुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकूलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 584 दि. 19/03/24 को नोटिस जारी।</p>
22/5/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। डाकी मय अधिवक्ता उपस्थित। डाकी मय प्रस्तुत कट निवेदन कि डाकी अब आगे से निगरानी के समान नहीं आएगा, निगरानी खारीज करवाई जावे। प्रस्तुत निगरानी जरूर विज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली के कल मुद्रा देकर नम्बर के कल टा। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">             अतिरिक्त जिला कलेक्टर            बाली, जिला-पाली         </p>	<p>मदनसिंह</p> <p></p>